

संख्या 13015/1/2011-स्था.(छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

नई दिल्ली: दिनांक: 15/12/2011

कार्यालय जापन

विषय :- उस सरकारी कर्मचारी को परिवर्तित छुट्टी जिसने सीजीएचएस सुविधा लेनी छोड़ दी है और अपने पति/पत्नी के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं - स्पष्टीकरण ।

इस विभाग को, वह कर्मचारी जिसे अपने पति/पत्नी के नियोक्ता से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, उनके मामलों में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अस्पताल/चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर परिवर्तित छुट्टी की अनुमेयता के संबंध में इससे स्पष्टीकरण मांगते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पत्र प्राप्त होते रहे हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर इस विषय पर विचार किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में पति/पत्नी के नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अस्पतालों/चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर चिकित्सा संबंधी कारणों से छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है ।

(जोया सी.बी.)

(जोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
2. महा लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव ।
4. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्र ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य-क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम (स्टाफ पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य ।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
10. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट [www.persmin.nic.in](http://www.persmin.nic.in) पर अपलोड करने हेतु ।
13. 10 अतिरिक्त प्रतियां ।

(जोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार